भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1497

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

उचित दर दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से अनाज बेचना

1497. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं को उचित दर दुकानों (एफ़पीएस) के माध्यम से बेचने की अनुमति न देकर दिनांक 20 मार्च, 2015 और 17 अगस्त, 2015 की राजपत्र अधिसूचनाओं के नियमों का उल्लंघन किया है और क्या सरकार ने उन राज्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उचित दर दुकानों के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देने वाली दिनांक 20 मार्च, 2015 की राजपत्र अधिसूचनाओं के नियमों 9(9) को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा भारत ब्रांड योजना को दूसरे चरण सहित इसके समग्र कार्यान्वयन और दिल्ली में उचित दर दुकानों की सतत् व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार की उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचनाओं और आदेशों का कब तक अनुपालन करने तथा दिल्ली में उचित दर दुकानों के माध्यम से अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देने की योजना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत चलाई जाती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर खाद्यान्नों का आबंटन, पात्र लाभार्थी परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण और उचित दर दुकान (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड

....2/

9(9) के अनुसार, राज्य सरकारें उचित दर दुकान के प्रचालन की व्यवहार्यता में सुधार के लिए उचित दर दुकान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देंगी।

उचित दर दुकान की व्यवहार्यता में सुधार लाने के प्रयासों के तहत, भारत सरकार ने विभिन्न पहल की हैं और सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उचित दर दुकान पर अतिरिक्त सेवाएं लागू करने का अनुरोध किया है, जिनमें सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सेवाएं, बैंकों/कॉर्पोरेट बैंकिंग संवाददाताओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक-केंद्रित सेवाएं, छोटे (5 किग्रा) एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री और अन्य वस्तुओं/जनरल स्टोर जिंस की बिक्री आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 4 शहरों अर्थात हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर और अहमदाबाद में 60 उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार के लिए एक पायलट अध्ययन किया जा रहा है। भारत सरकार संबंधित राज्यों के नेतृत्व में कार्यशील पूंजी के प्रावधान के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ भागीदारी करके पोषण संबंधी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ गैर-पीडीएस वस्तुओं की बिक्री के लिए बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) ऑनलाइन थोक एग्रीगेटरों के साथ साझेदारी करके इन उचित दर दुकानों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए, इस विभाग ने इन उचित दर दुकानों के मालिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक उद्यमिता कौशल से लैस करने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम या अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है।

वर्ष 2024-25 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] नीति के अनुसार, गेहूं और चावल की बिक्री केंद्रीय सहकारी संगठनों जैसे नैफेड/एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार (खुदरा बिक्री) को भारत ब्रांड के तहत बिक्री के लिए केवल अपने स्टोर/मोबाइल वैन और/या ई-कॉमर्स/बड़े खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से करने की अनुमति है।

*****